

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3892

जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 मार्च, 2022 को दिया जाना है

निजी विधि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय

3892. श्री एम. सेल्वराज :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) तमिलनाडु सहित देश में सरकारी और निजी विधि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;
- (ख) उक्त कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में रिक्तियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है ;
- (ग) सरकार द्वारा उक्त रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और
- (घ) क्या सरकार का देश में नए विधि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

- (क) : भारतीय विधिज्ञ परिषद् (बीसीआई) द्वारा प्रदान किए गए अनुसार तमिलनाडु सहित देश में सरकारी और निजी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों का राज्य-वार विवरण इसके साथ संलग्न है ।
- (ख) और (ग) : महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में रिक्तियों के भरे जाने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है और इन रिक्तियों को भरे जाने के लिए संबंधित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय जिम्मेदार हैं । इन महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में रिक्तियों के संबंध में कोई डाटा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है ।
- (घ) : वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

क्र. सं.	राज्य	निजी		सरकारी	
		विधि महाविद्यालय	विश्वविद्यालय	विधि महाविद्यालय	विश्वविद्यालय
1.	आंध्र प्रदेश	29	04	10	09
2.	अरुणाचल प्रदेश	00	06	02	01
3	असम	15	01	14	04
4	बिहार	10	03	15	12
5	छत्तीसगढ़	05	07	20	06
6	दिल्ली	15	02	04	04
7	गुजरात	67	12	32	12
8	गोवा	00	00	02	01
9	हिमाचल प्रदेश	10	09	04	02
10	हरियाणा	20	23	10	08
11	जम्मू-कश्मीर	11	00	02	02
12	झारखंड	05	10	06	07
13	कर्नाटक	103	10	10	05
14	केरल	19	00	08	06
15	मध्य प्रदेश	56	23	68	09
16	महाराष्ट्र	131	17	38	12
17	मणिपुर	03	00	01	02
18	मेघालय	00	02	04	02
19	मिजोरम	00	00	01	01
20	नागालैंड	02	00	01	01
21	ओड़िशा	23	04	08	06
22	पुडुचेरी	01	00	02	01
23	पंजाब	29	11	14	04
24	राजस्थान	55	38	26	07
25	सिक्किम	00	01	02	02
26	तमिलनाडु	02	15	10	02
27	तेलंगाना	23	04	05	06
28	त्रिपुरा	00	01	01	01
29	उत्तराखंड	32	08	05	03
30	उत्तर प्रदेश	223	27	47	20
31	पश्चिमी बंगाल	31	10	11	12
